# कार्यालय ग्राम पंचायत पाटन अहीर पंचायत समिति कोटकासिम, खैरथल–तिजारा

क्रमांक–निविदा / 2025–26 / 18 दिनांक – 26/5/2026

ई–निविदा सूचना संख्या 01 / 2026–27

वित्तीय वर्ष 2026–27 के अन्तर्गत पंचायत समिति कोटकासिम (खैरथल–तिजारा) के अधीनस्थ ग्राम पंचायत पाटन अहीर में स्वीकृत निर्माण कार्य को करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर इच्छुक वाणिज्य कर विभाग में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सक्षम अनुभव प्राप्त फर्मों / संवेदकों से दिनांक 02.06.2026 तक निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाइट www.SPPP पर ऑनलाइन निविदाएं आंमत्रित की जाती है।

| क0सं0 | कार्यकारी संस्था का नाम | योजना | अनुमानित लागत (लाखों में) | अमानत राशि | निविदा शुल्क | ऑनलाईन निविदा डाउनलोड एवं अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय | तकनिकी बिड प्रपत्र मय अमानत राशि / निविदा शुल्क / प्रोसेसिंग शुल्क राशि का डीडी सहित जमा कराने की अन्तिम दिनांक एवं समय | ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्टीट लाइट लगाने का कार्य ग्राम पंचायत पाटन अहीर | SFC IV | 5.00 | 10000 | 500 | दिनांक 26.05.2026 से 02.06.2026 को सायं 6.00 बजे तक | 03.06.2026 को दोपहर 2.00 बजे तक | 03.06.2026 सांय 4.00 बजे |

**बिड की शर्तेः–**

1. निविदा बिड़ प्रतिभूति राषि के बिना प्राप्त बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. विभिन्न निर्माण कार्य हेतू आनुषांगिक सामग्री आपूर्ति के लिये बिड़ प्रपत्र, बिड से संबंधित नियम,शर्तें संबंधी दस्तावेज निर्धारित बिड शुल्क लोक उपापन की वेबसाईट **http:/sppp.rajasthan.gov.in** से भी डाउनलोड़ किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये बिड प्रपत्र का निर्धारित निविदा शुल्क अमानत राशि का बैंकर चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट सम्बन्धित ग्राम पंचायत के नाम से बिड के साथ संलग्न करना होगा।
3. विभिन्न निर्माण कार्य हेतू आनुषांगिक सामग्री आपूर्ति के लिये संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में निर्धारित दिनांक व समय से पूर्व पंहुच जानी चाहिये।
4. संबंधित ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच प्राप्त सील बंद लिफाफे को पंचायत समिति कोटकासिम में टैण्डर कमेटी के समक्ष निविदा में निर्धारित दिनांक व समय तक आवश्यक रूप से जमा करावे। **निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त बिड स्वीकार्य नही होगी।**
5. संबंधित क्रय समिति न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार किये जाने के लिए बाध्य नहीं है, तथा वह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारन बताये रद्द कर सकेगी। उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहॉं आवश्यक हो इसके साथ ही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 एवं वित्त एवं लेखा मार्गदर्शिका 2011 एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका प्रभावशील है जो उक्त बिड पर प्रभावशील होंगे।
6. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 एवं वित्त एवं लेखा मार्गदर्शिका 2011 एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार एकल निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
7

रोशन लाल मोर्य
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पाटन अहीर
पं0स0 कोटकासिम (खैरथल–तिजारा)

सरपंच
ग्राम पंचायत पाटन अहीर
पं0 स0 कोटकासिम (अलवर)

**प्रशासक सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी**
**ग्राम पंचायत पाटन अहीर**

क्रमांक– 18

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

दिनाक – 26/5/26

1. श्रीमान सम्मानीय आयुक्त, जयपुर।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जिला परिषद् अलवर/खैरथल–तिजारा।
3. संपादक महोदय, को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का नियमानुसार न्यूनतम साइज मे जिला स्तरीय संस्करण मे प्रकाशन करवाने का श्रम करावे।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त जिला खैरथल–तिजारा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, निविदा से संबंधित ग्राम पंचायत को भेजकर लेख है कि निविदा विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करे व निविदा खोलने की निर्धारित दिनांक व समय पर कार्यालय पंचायत समिति मे उपस्थित रहकर निविदा कार्यवाही मे भाग लेना सुनिश्चित करे।
7. रक्षित पत्रावली/कार्यालय हाजा।

प्रशासक सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पाटन अहीर
(खैरथल–तिजारा)

रोशन लाल
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पाटन अहीर
पं०स० कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)

कार्यालय ग्राम पंचायत ....................

पंचायत समिति कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा

# तकनीकी बिड प्रपत्र

निर्माण सामग्री आपूर्ति 2025–26 हेतू

अन्तिम तिथि – ....................

समय – ....................

बिड प्रपत्र शुल्क – ....................

1. ग्राम पंचायत का नाम जिसके लिए तकनीकी बिड प्रस्तुत की गई है....................
2. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता व मोबाइल नं.....................
   ....................
3. किसको संबोधित किया गया – ग्राम पंचायत ....................पंचायत समिति कोटकासिम।
4. निविदा सन्दर्भ कमांक / दिनांक –....................
5. ~~निविदा प्रोसेसिंग शुल्क – रू.500/– डीडी/बैंकर्स चैक~~ .................... ~~दिनांक~~ ....................
   बैंक का नाम :–....................
6. बिड प्रपत्र शुल्क – रू.~~1000~~ 570/– डीडी/बैंकर्स चैक ....................दिनांक ....................
   बैंक का नाम :–....................
7. धरोहर राशि 2 प्रतिशत का डीडी/बैंकर्स चैक संख्या ....................दिनांक ....................
   बैंक का नाम :– .................... ....................।
8. हम ग्राम पंचायत .................... पं0स0 कोटकासिम द्वारा जारी की गई बिड सूचना कमांक .................... दिनांक ....................में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इसके सभी पृष्ठों .................... पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।
9. बिड द्वि–प्रकर्मी बोली के रूप में आमंत्रित की गई है। बोली दाता की तकनीकी क्षमता हेतू निम्न दस्तावेजों को स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति जो ऑनलाइन प्रस्तुत की गई है की प्रति संलग्न कर तकनीकी बिड ऑनलाईन अपलोड की जावे ।
   1. तकनीकी बिड प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित जो ऑनलाइन प्रस्तुत की गई है ।
   2. एनेक्सर ए.बी.सी. (हस्ताक्षरित)।
   3. बिड शुल्क डीडी/बैंकर चैक, धरोहर राशि डीडी/बैंकर चैक व प्रोसेसिंग शुल्क डीडी/बैंकर चैक ।
   4. सक्षम श्रेणी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ( राजस्थान सरकार के विभिन्न निर्माण विभागों में से किसी भी एक में पंजीकृत हो)।
   5. फर्म/संवेदक का जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं पैन नं0 की प्रमाणित प्रति।
   6. संवेदक द्वारा 50 रू. के नोन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र।
   7. जिस फर्म को उक्त निविदा हेतू अधिकृत किया जावेगा उसे ग्राम पंचायत की वर्क ऑर्डर/मांग के आधार पर अधिकतम 7 दिवस में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त कर राशि जब्त करते हुए ठसबा सपेज किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
   8. संवेदक/फर्म के पास मशीनरी स्वंय के नाम या किराये पर होने के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

सरपंच
ग्राम पंचायत पा...
पं0 स0 कोटकासिम (...)

रोशन लाल मौर्य
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पाटन आदि
पं०स० कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)

हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम पता मय सील व मोबाईल नं.

# कार्याल॰ ॰ाम पं॰ ...

पंचाय॰ ॰िति कोटक॰ ॰ला खैरथल–तिजारा

**important instructions:-** the law relating to procurement "the rajasthan tranceperency in pub▮ic procurement act,2012"[hereinafter called the act] and the rajasthan transparency in public procurement rules ,20▮3"[hereinafter called the rules] under the said act have come into force which are avaible on the website of state pub▮ic procurement portal http://sppp.raj.in. therefore the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the act and the rules before participating in the bidding process .if there is any discrepancy between the provisional of the act and the rules and this bidding document, the provision of the act and the rules shall prevall.

निविदा शर्ते–

1. बिड सूचना में दिये गए निर्देश के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर पूर्ण रूप से भरी गई ऑनलाइन तकनीकी बिड की प्रति के साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि की डीडी/बैंकर चैक एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा के नाम से निर्धारित दिनांक व समय तक संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा करा सकेंगे । निर्धारित समय के बाद एवं बिना निर्धारित प्रतिभूति राशि/डीडी/बैंकर चैक के प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।
2. बोलीदाता द्वारा बिड दो रूपों में यथा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड पृथक–पृथक ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी । तकनीकी रूप से सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
3. यदि किसी बोलीदाता द्वारा तकनीकी प्रस्ताव की ऑनलाइन अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी बिड निरस्त की जा सकती है ।
4. प्राप्त बिड दस्तावेज को निर्धारित दिनांक को उपस्थित बोलीदाता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जावेगा। निर्धारित समय में कोई बोलीदाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर विभाग की गठित्त उपापन समिति द्वारा बिना उनका इन्तजार किए निर्धारित समय पर बिडों को खोला जावेगा । यदि उस दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को बिड खोली जावेगी ।
   (अ) सर्वप्रथम भरी हुई तकनीकी बिड खोली जावेगी ।
   (ब) तकनीकी रूप से अहर्ता प्राप्त बिडदाता की ही वित्तीय बिड पर विचार किया जावेगा। सिर्फ तकनीकी बिड मे सफल बिड दाता ही आगे कार्यवाही में भाग लेने के योग्य होगा ।
5. बिड प्रपत्र स्याही से भरा जावेगा या अंकित किया जावेगा । पेंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा । बिडदाता बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बिड के समस्त निबधकों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करेगा ।
6. निविदा खुलने के पश्चात प्राप्त धरोहर राशि के डीडी/बैकर्स चैक ग्रा0पं0 के बैंक खाते में जमा करवाये जावेगे न कि सीधे ही निविदादाता (निविदा में असफल निविदादाता) को डीडी/बैकर्स चैक वापस किये जायेगे। पंचायत समिति के बैंक खाते में डीडी/बैकर्स चैक राशि जमा करवाने के पश्चात निविदा कार्य पूर्ण होने पर निविदादाता के आवेदन करने पर ही ग्रा0पं0 के बैंक खाते के माध्यम से ही धरोहर राशि आहरित/वापस की जावेगी।
7. प्रस्तुत दरें ग्राम पंचायतो में विभिन्न कार्यों हेतु संबंधित कार्यस्थल पर एफ.ओ.आर. होगी एवं दरों में समस्त प्रकार के कर (रॉयल्टी/आयकर/जीएसटी) एवं परिवहन व्यय मय उतराई, चढाई आदि व्यय शामिल होगे। अनुमोदित दर के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। बी एस आर / जी शिडयूल में शामिल दूरी के अतिरिक्त लीड के लिए नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
8. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ओर दरें अंको के साथ –साथ शब्दों में अवश्य लिखी जानी चाहिए ।
9. ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यो में जो सामग्री काम मे ली जावेगी उसका भुगतान तकनीकी अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका/एमबी में दर्ज उपयोग में ली गई सामग्री की मात्रा के आधार पर किया जावेगा।
10. सामग्री आपूर्ति कनि0 अभियन्ता/तकनीकी अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी की देख–रेख एवं निर्देश मे ली जावेगी जो निविदा में अंकित स्पेसिफिकेशन/गुणवत्ता/ट्रेडमार्क अनुसार होगी।
11. निरीक्षण/परीक्षण के दौरान जो सामग्री अनुमोदित नही होगी उन्हें निरस्त किया जायेगा तथा निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर बदला जायेगा। निरस्त की गई वस्तुओ को निविदादाता द्वारा निरस्त की सूचना देने से 15 दिन की अवधि में हटाना होगा।
12. बिड ळैज में पंजीकृत एकल स्वामित्व फर्म/कम्पनी संस्था/सोसायटी द्वारा ही दी जानी चाहिए जो वस्तु एवं सेवा करदाता हो तथा राजस्थान सरकार के विभिन्न निर्माण विभागों में पंजीकृत हो । इस तथ्य का प्रामाणिक अभिलेख बिड के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।
13. बिड किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक को साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पावर ऑफ अटार्नी प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है । बिड स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों या साझेदारों के इस अनुबन्ध

रोशन लाल मोर्य
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पाटन अहीर
पं०स० कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)

सरपंच
ग्राम पंचायत पाटन अहीर
पं० स० कोटकासिम

14. बिडदा... बिड या उसकी ... भूत भाग को ... अन्य ऐजेन्सी को ... सकेगा और नही किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा ... नहीं कर सकेगा।

15. निर्माण कार्य अनुबन्ध के 3 माह मे पूर्ण कराना होगा।

16. <u>प्राइस फाल क्लॉज</u>– दर संविदा के अधीन कीमतें ,कीमत गिरने का खण्ड के अध्याधीन होगी। यदि दर संविदा धारक दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान्न माल,संकर्मों या सेवांए देने के लिए उसकी कीमत कोट करता / कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी ओर दरें संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा , धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म , दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्म दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो एवं मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमत तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जावेगी । यदि कोट दर संविदा धारक फर्म , कीमत कम करने से सहमत नहीं होती हैं तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

17. <u>वारंटी /गारंटी खण्डः–</u> बोलीदाता यह गारंटी देगा कि माल / सामान / वस्तुऐं खरीदे जाने वाले उक्त माल / सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से 12 माह तक की अवधि तक तथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों /सामानों /वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि 12 माह तक की उक्त अवधि में, उक्त मालो / सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामानों/वस्तुऐं विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाये तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा ,अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्तो के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

18. <u>तकनीकी बिड के साथ निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए</u>
   1. तकनीकी बिड प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित जो ऑनलाइन प्रस्तुत की गई है ।
   2. एनेक्सर ए.बी.सी (हस्ताक्षरित)।
   3. बिड शुल्क ,धरोहर राशि व प्रोसेसिंग शुल्क का डीडी/बैंकर ।
   4. सक्षम श्रेणी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ( राजस्थान सरकार के विभिन्न निर्माण विभागों में से किसी भी एक में पंजीकृत हो)।
   5. फर्म / संवेदक का जीएसटी रजिस्टेशन एवं पैन नं0 की प्रमाणित प्रति।
   6. संवेदक द्वारा 50 रू. के नोन ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र।
   7. जिस फर्म को उक्त निविदा हेतु अधिकृत किया जावेगा वह ग्राम पंचायत की वर्क ऑर्डर/मांग के आधार पर अधिकतम 7 दिवस में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त कर राशि जब्त करते हुए ठसंबा सपेज किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
   8. संवेदक / फर्म के नाम मशीनरी (रोड रोलर, जेसीबी, ट्रैक्टर–ट्रौली, टैंकर, एवं अन्य) स्वंय के नाम होने के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र अथवा संवेदक को मशीनरी को किराये पर लेंने का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

19. <u>बोली प्रतिभुति ( Bid security)</u> :–
   1. दर संविदा के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी।
   2. बोली प्रतिभूति बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से 90 दिन आगे तक विधिमान्य रहेगी।
   3. असफल बोली लगाने वालो की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

रोशन लाल मौर्य
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पाटन अहीर
पं०स० कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)

सरपंच

के [illegible] पर कोई विवाद [illegible] डालेगा। इस [illegible] इस अनुबन्ध [illegible] नया साझेदार नहीं [illegible] तक फर्म [illegible] साझेदार संविदा [illegible] जावेगा। [illegible] कम्पनी / संसाइटी होने [illegible] प्रतिनिधि द्वारा [illegible] जावेगा। [illegible] की अधिकृत [illegible] के साथ प्रस्तुत करनी [illegible]

14 बिडदाता अपनी बिड या उसकी [illegible] सारभूत भाग को न तो किसी अन्य ऐजेन्सी को सौंप सकेगा और नही किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा [illegible] नहीं कर सकेगा।

15. निर्माण कार्य अनुबन्ध के 3 माह मे पूर्ण कराना होगा।

16. <u>प्राइस फाल क्लॉज</u>– दर संविदा के अधीन कीमतें ,कीमत गिरने का खण्ड के अध्याधीन होगी। यदि दर संविदा धारक दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल,संकर्मा या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता / कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी ओर दरें संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा , धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म , दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्म दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो एवं मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमत तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जावेगी । यदि कोट दर संविदा धारक फर्म , कीमत कम करने से सहमत नहीं होती हैं तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

17. <u>वारंटी / गारंटी खण्डः</u>– बोलीदाता यह गारंटी देगा कि माल / सामान / वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल / सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से 12 माह तक की अवधि तक तथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों /सामानों /वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि 12 माह तक की उक्त अवधि में, उक्त मालो / सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामानों/वस्तुऍं विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाये तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा ,अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्तो के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

18. <u>तकनीकी बिड के साथ निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए</u>

1. तकनीकी बिड प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित जो ऑनलाइन प्रस्तुत की गई है :
2. एनेक्सर ए.बी.सी (हस्ताक्षरित)।
3. बिड शुल्क ,धरोहर राशि व प्रोसेसिंग शुल्क का डीडी/बैंकर ।
4. सक्षम श्रेणी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ( राजस्थान सरकार के विभिन्न निर्माण विभागों में से किसी भी एक में पंजीकृत हो)।
5. फर्म / संवेदक का जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं पैन नं0 की प्रमाणित प्रति।
6. संवेदक द्वारा 50 रू. के नोन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र।
7. जिस फर्म को उक्त निविदा हेतु अधिकृत किया जावेगा वह ग्राम पंचायत की वर्क ऑर्डर/मांग के आधार पर अधिकतम 7 दिवस में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त कर राशि जब्त करते हुए ठसंबा सपेज किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
8. संवेदक / फर्म के नाम मशीनरी (रोड रोलर, जेसीबी, ट्रैक्टर–ट्रौली, टैंकर, एवं अन्य) स्वंय के नाम होने के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र अथवा संवेदक को मशीनरी को किराये पर लेंने का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

19. <u>बोली प्रतिभूति ( Bid security)</u> :–

1. दर संविदा के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी।
2. बोली प्रतिभूति बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से 90 दिन आगे तक विधिमान्य रहेगी।
3. असफल बोली लगाने वालो की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

रोशन लाल मौर्य
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पाटन अहीर
पं०स० कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)

सरपंच
[illegible]

[illegible] प्रतिभूति [illegible] (Forfeiture [illegible] Security

बोली लगाने [illegible] गई बोली [illegible] निम्नलिखित [illegible] की जायेगी [illegible]

(क) जब [illegible] वाला बोली [illegible] पश्चात [illegible] या रुपान्तरित [illegible]

(ख) जब [illegible] वाला प्रदाय/[illegible] आदेश देने के पश्चात [illegible] कालावधि के [illegible] करार यदि [illegible] का निष्पादन नहीं [illegible] है।

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रद्राय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 8 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

2. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य संपादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य संपादन प्रतिभूति दे देता है।

21. <u>बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period of validity of bids):–</u>

बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली कालावधि सामान्यतया 90 दिनों से अधिक नहीं होगी।

22. अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकर द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरंत कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह संभव नहीं हो तो राजस्थान लोकमॉंग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

23. बोलीदाता को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा या जीएसटी की कटौती के भुगतान एवं रिटर्न भरने आदि की समस्त जिम्मेदारी संबंधित फर्म/संवेदक की होगी ।

24. बिड़ की शर्तों में सन्देह की स्थिति में सामान्य वित एवं लेखा नियम, एवं त्ब्च् ।ब्ज. एवत त्ब्च् त्नसमे एवं वित एवं लेखा मार्गदर्शिका 2011 (मनरेगा) के प्रावधान के अनुसार लागू होगें।

25. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (ब्वततमबजपवद व ितपजीउमजपब मततवते पद पिदंदबपंस इपके):--बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर , सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी:–

(क) ईकाई मूल्य और कुल मूल्य , जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है , के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा , जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तक तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो , ऐसे मामलें में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होंगी।

26. <u>किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार:–</u> उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपागत किये बिना , किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने , और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय , समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

27. <u>परिमाण में परिवर्तन का अधिकार (Right to vary quantity):–</u>

(1) संविदा के अधिनिर्णय के समय , बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनो और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपायन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नही करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

रोशन लाल [illegible]
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पाटन आहिर
पं०स० कोटकासिम (तैरवल-तिजारा)

[illegible]
ग्राम पंचायत [illegible]
पं० स० कोट[illegible]

... मदों या ... परिमाणों के लिए ... पर बोली ... पर्बोन्नत ...
... दरों और ... जा सकेंगे ... खुली प्रति... सम्मिलित ...
... गया था ... पूर्ण होने की ... आनुपातिक ... जा सकेगा।
... की सीमाएं निम्न... होगी –

(क) ... की दशा में ... मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा ... मूल्य का 50 प्रतिशत और
(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल का 50 प्रतिशत।

28. <u>अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन (Dividing Quantites among more than one bidder at the time of award):-</u> सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच , उस बोली लगाने वाले की दरों पर , जिसकी बोली स्वीकार की गई है, ऋजु पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुँचने के लिये प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि , परिणामों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितिय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गई दरों पर ) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

29. <u>कार्य सम्पादन प्रतिभुति (Performance Security):–</u> सफल बोली लगाने वालों से कार्य संपादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामलें में प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत होगी। कार्य संपादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी।

(1) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक ;

(2) कार्य संपादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि का सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे 180 दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

30. <u>कार्य संपादन प्रतिभुति का समपहरण (Forfeiture of performance security)</u>:–

प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

(1) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो ।

(2) जब निविदादाता का सम्पूर्ण प्रदाय/सेवासंतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो ।

(3) कार्य संपादन प्रतिभूति को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इसी संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

31. <u>करार का निष्पादन (Execution of agreement)</u>:–

(1) सफल बोली लगाने वाले को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिवस में एककरार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में ग्रा0पं0 को अवधि बढाने का अधिकार होगा।

(2) यदि बोली लगाने वाला जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य संपादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था , ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो , बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार , न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को , स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(3) जिस फर्म की दरे स्वीकृत की जावेगी उसे 1000 रू. राशि के नॉन–जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध /करार निष्पादित करना होगा।

रोशन लाल ...
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...
पं0स0 ...

ग्राम पंचायत ...
पं0 स0 ...

(4) [illegible] करने [illegible] समान [illegible] निविदा [illegible] जायेगा
तथा विभाग [illegible] एक निष्पक्ष [illegible] का प्रतिप[illegible] (foil) [illegible]गी।

32. सत्यनिष्ठा [illegible] उपक्रम या पदस्थ [illegible] उपापन प्रक्रि[illegible] लेने वाला को [illegible] में किसी रिश्वत [illegible] या प्रत्यक्ष [illegible] अप्रत्यक्ष रूप से [illegible] आर्थिक फायदे का [illegible]

(1) उपापन [illegible] में अनुचित फायदे [illegible] लिए या अन्यथा उपापन [illegible] को प्रभावित [illegible] ऐसा प्रस्ताव नही करेगा,

(2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नही करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभी प्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो

(3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता , निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि , बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण मे लिप्त नहीं होगा ;

(4) उपापन संस्था एवं बोली लगाने वालों के बीच साझा की गई किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा ।

(5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुँचाने,ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(7) हित का विरोध , यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या अन्य किसी उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

33. <u>हित का विरोध (Conflict of interest):–</u>

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो जो उस पक्षकार के पदिया कर्त्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन , या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो ।

(2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित है, किन्तु इन तक सीमित नहीं है, यदि–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है

(ख) व उनमें से किसी से , कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते है या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के परियोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक– दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो –दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुँचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो,

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि , यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है, जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है ; या

(च) बोली लगाने वाले या उसे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है।

34. <u>बोली लगाने वाले द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग</u>–अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी बोली लगाने वाले या यथास्थिति भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उपधारा 3 और 46 के उपबन्धों के अनुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी ।

35. विवाद की स्थिति में उपापन कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा व बोलीदाता को मान्य होगा।

36. प्रस्तुत बिलों में नियमानुसार आयकर की कटोती की जावेगी जीएसटी राशि जमा की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं बिडदाता की होगी ।

37. बिडदाता की अलग से कोई शर्ते मान्य नहीं होगी ।

38. <u>डाक द्वारा प्रेषित निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।</u>

39. निविदा प्रपत्र सही भरा हुआ होना चाहिये। निविदादाता टेण्डर फार्म के साथ इस शर्त नामे के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षरों के अभाव में टेण्डर फार्म अस्वीकृत किया जा सकता है।

40. दरे अंको एवं शब्दों में अंकित करनी होगी। कोई कटिंग अथवा ऊपरीलेखन नही होना चाहिए।

41. <u>अपील (अ )</u> प्रत्येक अपील उस आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है ,यदि कोई हो अपील मे कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथपत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी ।

(ब) प्रत्येक अपील प्रथम अपील अधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील अधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(स) प्रथम अपील अधिकारी विकास अधिकारी प.स. कोटकासिम तथा द्वितीय अपील

रोशन लाल
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत [illegible]
पं.स. कोटकासिम [illegible]

अधि[illegible] जी0 जि[illegible] [illegible]धक [illegible] [illegible] अधिकारी [illegible]
अत[illegible]

(द) प्रथम [illegible] फीस दो ह[illegible] तथा द्विती[illegible] लिए दस ह[illegible] अ[illegible]तिदेय होगी फीस [illegible] [illegible]चित बैंक [illegible] [illegible]फट या बैंकर [illegible] म किया जावे[illegible] [illegible]धित अपील अधिकारी के नाम [illegible] ।

42. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में उसे आदेश प्राप्ति के साथ ही सामग्री की आपूर्ति करना आवश्यक होगा। तथा कार्यादेश में वर्णित समय में सामग्री आपूर्ति करनी होगी ।

43. टेण्डर प्रपत्र मे अंकित मात्रा अनुमानित है। जिसे आवश्यकतानुसार कम अथवा अधिक करने का पूर्ण अधिकार निविदा समिति को होगा।

44. सफल निविदादाता को बयाना राशि 5 प्रतिशत निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में जमा करवानी होगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। टेण्डर प्रपत्र के साथ जमा करायी गई 2 प्रतिशत राशि में समायोजित किया जा सकेगा।

45. निविदा शर्त उल्लघंन पर निम्नानुसार शास्ती आरोपित की जा सकेगी।
   1 निर्धारित अवधि के चोथाई अवधि के विलम्ब शुल्क –2.5 प्रतिशत
   2 निर्धारित अवधि के आधी अवधि के विलम्ब पर–5.0 प्रतिशत
   3 निधारित अवधि के तीन चोथाई अवधि के विलम्ब पर– 7.5 प्रतिशत
   4 निर्धारित अवधि के चोथाई अवधि पर अवधि से अधिक विलम्ब पर 10 प्रतिशत

46. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएँ नही खोली जा सकी तो उसके अगले कार्य दिवस पर कमेटी के निर्णय के अनुरूप शेष निविदाएँ खोली जाने का कार्य जारी रखा जावेगा।

47. संवेदक द्वारा ब्रीएसआर दर / जी शिडयूल अनुमानित दर से 10 प्रतिशत से भी कम दर प्रस्तुत की जाती है तो उनमें सफल बोलीदाता से अन्तर राशि की ( 10 प्रतिशत कम दर से जितने प्रतिशत दर कम है) अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति ली जावेगी। यह राशि अनुबन्ध सम्पादन के समय जमा करवानी होगी व इसे निविदा अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही लोटाया जावेगा।

48. कार्यादेश बजट की उपलब्धता के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दिया जावेगा तथा सामग्री आपूर्ति के संतोषप्रद होने का प्रमाण पत्र तकनीकी अधिकारी के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया जावेगा।

49. समिति किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है. यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यनूतम निविदाओं ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बताये बिना रद्द कर सकती है।

50. समस्त कानूनी कार्यवाही हेतू अलवर में स्थित माननीय न्यायालय के क्षेत्र में होगा।

51. वित्त एवं लेखा मार्गदर्शिका 2011 के अनुसार संवेदक का सम्बंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव से खून का रिश्ता नही होने के आश्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निर्माण सामग्री का विवरण एवं अनुमान वित्तीय बिड के अनुसार है।

नोटः— उपरोक्त शर्ते क0 स0 1 से 51 तक मैंने सावधानीपूर्वक पढ.ली है और मै समस्त शर्तो को मानने के लिये अपनी सहमति देता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय पता व मोबाइल नं.

दिनांक

रोशन लाल मीणा
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पाटन अहीर
पं0स0 कोटकासिम (तीरथल-तिजारा)

सरपंच
ग्राम पंचायत पाटन
पं0 स0 कोटकासिम

# AFFIDAVIT

(on Rs.50/- non-judicial stamp paper)

I, ------------------------------------------------ Proprieter of Ms------------------------------------------------ ---------------- undertake the oath that the information furnished by me in 1 to 8 assessment bid for **construction Material** in gram panchayat..............................P.S. Kotkasim (Khairthal-Tijara) is correct to the best of my knowledge.If any informations found to be incorrect Procurment Committee P.S. Kotkasim (Khairthal-Tijara) has right to reject to BID and to take action against me as per rules.

PROPRIETOR NAME AND SIGNATURE
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
Address and Mobile/ID No.

रोशन लाल
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पाटन अहीर
पं०स० कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)

सरपंच
ग्राम पंचायत पाटन
पं० स० कोटकासिम

## निविदा[illegible] द्वारा घो[illegible]

[illegible] नियम 48 (vii)

मैं / हम घोषणा करता हूं / करते है कि मैंने / हमने / मालों / सामानों / उपकरणों के लिए हैं. उसका / उनके मैं / हम बोनाफाइड विनिर्माता / थोक विक्रेता / सौलर वितरक / प्राधिकृत डीलर / सौलर विक्रय / विपणन एजेण्ट हूं / है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप से समपहत किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया हैं, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक :–

पता व मोबाइल नं. :–

रोशन लाल मौर्य
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पाटन अहीर
पं०स० कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)

सरपंच
ग्राम पंचायत पाटन
पं० स० कोटकासिम (अल

प्रारूप-2

# निविदादाता द्वारा घोषणा

1- मैं / हम घोषणा करता हूं / करते है कि निविदा प्रक्रिया के निर्णय से संबद्ध कार्मिक / अधिकारी तथा क्रय आंदेश देने वाले अधिकारी / कार्मिक / लोक सेवकं / संविदा कर्मी मेरे / हमारे परिजन नहीं हैं।

2- यदि उक्त कथन असत्य पाया जाता है तो मेरी / हमारी निविदा निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार कार्यकारी संस्था को होगा।

दिनांक :-

निविदादाता के हस्ताक्षर
पता व मोबाइल नं. :-

रोशन लाल मौर्य
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पाटन
पं०स० कोटकासिम

सरपंच
ग्राम पंचायत पाटन
पं0 स0 कोटकासिम (अलवर)

Annexure A Compliance with the code of integrity and no conflict of interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe ,reward or gift or any material benefits either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise the procurement process.

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefits or avoid an obligations.

(c) Not indulge in any collusion,bid rigging or anti-competitive behavior to impair to transparency ,fairness and progress of the procurement process.

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with a n intent to gain unfair advantage in the procurement process.

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same,directly or indirectly to any party or to its property to influence the procurement process.

(f) Not obstruct ant investigation or audit of a procurement process.

(g) Disclose confict of interest,if any;and.

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in india or any other country during the last three or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest :-

The bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest .

A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance that official duties or responsibilities,contractual obligations or compliance with applicable laws and regulations.

I A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them ,or
c. Have the same legal representative for purpose of the bid;or
d. Have a relationship with each other ,directly or through common third parties ,that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidders, or influence the decisions of the procuring entity regarding the bidding process; or
e. The bidder participates in more than one bid in a bidding process .participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However,this does not limit the inclusion of the same subcontractor not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
f. The bidder or any of its affiliates participated ad consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the bid;or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired(or is proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

PROPRIETOR NAME AND SIGNATURE

..............................................

..............................................

..............................................

Address and Mobile / ID No

The designation [illegible] is Gram Panchayat [illegible]

The designation [illegible] of the second [illegible] authority is [illegible] Tijara

(1) [illegible] appeal

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that ant decision [illegible] omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to first appellate authority ,as specified in the bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action,omission as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para(1) fales to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2)or if the bidders or prospective bidders on the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority ,the bidder or prospective bidder or the procuring entity as the case may be ,may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para(2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority ,as the case may be

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against ant decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:

(a) Determination of need of procurement:
(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process:
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations:
(d) Cancellations of a procurement process:
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) From a Appeal

(a) An appeal under para(1) or(3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

## [illegible] C: Additional [illegible] of contract

[illegible] of arithmetical [illegible]

[illegible] that a financial [illegible] substantially respon[illegible] procuring entity [illegible] correct arithmetic[illegible] evaluation of financial bids [illegible] the following basis:

(a) If there is a discrepancy between the unit price a[illegible] the total price that is obtained by multiplying [illegible] price and quantity ,the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unles s in the option of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case total price as quoted shall govern and the unit plrice shall be corrected;

(b) If there is an error in a total corresponding to the addition or substraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(c) If there is a diacrepancy between words and figures ,the amount in words shall prevail ,unless the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above

. If the bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors,its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

2. Procuring entity's Right to Vary Quantities

(a) At the time of award of contract , the quantity of goods ,works or service originally specified in the bidding document may be increased or decreased by a specified parcentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent ,of the quantity specified in the bidding document .it shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of contract.

(b) If the procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances,the bidder shall not be entitled for ant claim or compensation exept otherwise provided in the conditions of contract.

(c) In case of lprocurement of goods or services,additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order .however, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply . if the sulpplier fails to do so,the procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

PROPRIETOR NAME AND SIGNATURE

Address and Mobile/ID

रोशन लाल [illegible]
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पाटन [illegible]
पं०स० कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)

सरपंच
ग्राम पंचायत पाटन [illegible]
पं० स० कोटकासिम (अ[illegible])

# OFFICE OF THE PANCHAYAT SAMITI KOTKASIM, KHAIRTHAL-TIJARA

## Detailed cum Abstract of cost

स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य ग्राम पंचायत पाटन अहीर

ग्राम पंचायत

MLAD

No. of lights 117 .

AS Amount- 5.00

**Based on GKN 2010 ( PWD Electric BSR 2022 )**

| Particulars | No. | Qty. | unit | Total Rate | Total Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] PVC XLPE insulated & P.V.C. sheathed Un-Armoured [illegible] cable confirming to IS:1554 P-I / IS :7098 P -I of 1.1 KV with H4 [illegible] electrolytic aluminium conductor confirming to IS 8130 of purity [illegible] inner / outer sheath confirming to IS:5831 in existing RCC / Hume / [illegible] / PVC pipe/ open duct/cable trench / Cable tray (with cable tie) including [illegible] as required of following size. OEM must have it's own in house NABL [illegible] Laboratory for testing procedure a s per IS:10810. For additional [illegible] parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this ITEM NO 11.1.3 | | | | | |
| [illegible] mm unarmoured | 1 | 702 | mtr | 102.6 | 72025.2 |
| [illegible] & Fixing of IK08, IP 66 protected LED Street Light Luminaire on existing [illegible] pole. Fixture made of powder coated single piece pressure die cast aluminium [illegible] with heat dissipation fins on housing with UV stabilized PC (UV stablization [illegible] for UV cover ) /Toughened Glass cover and secondary lens on each [illegible] should be SMD type of 3 to 5 watt each . The System efficacy >=125 lm/ wt and [illegible] cover & has a unique BIS R number with Input Voltage AC 120 to 270 V [illegible] High voltage Cutoff @>=300 V AC and Auto resetting Safety . Power [illegible] Driver Efficiency >85% ,THD(I) <10% Humidity 10% to 90% RH Working [illegible] to 45C . driver current <750mA. The luminaire shall be BIS certified and [illegible] mark certified. Life Expectancy Equal or more than 50000 burning hrs with [illegible] 70% lumen maintened .CRI >70 and CCT 5700K +355K. Surge protection [illegible] min ≥ 4 KV internal and min 10 KV external inside driver compartment. driver [illegible] Phase to phase protection of 440 V for 4 Hrs. Manufactures [illegible] Name Engraved/Embossing on die cast housing to allow [illegible] authenticity. Fixture shall be AS PER IS 10322 Complianced.OEM Must [illegible] own in house NABL lab setup for all testing facilities for LED fixtures. [illegible] report with [illegible] warranty of product/accessories from OEM shall be submitted. All as per pre [illegible] by Engineer in charge. For additional technical parameters of [illegible] work , refer Annexure "A" attached with this BSR 18.2.2 | | | | | |
| [illegible] Light fixture with Minimum lumen output 3700 lm | 117 | 117 | No | 3033.0 | 35[illegible] |
| [illegible] & Fixing of Recessed/surface mounting heavy duty horizontal type Double [illegible] / Glazed )Distribution board [illegible] end box made out from Galvanized steel / CRCA sheet not less then 1.2 [illegible] conforming to IS-8623-1 & 3 / IEC 61439- 1 & 3, powder painted complete [illegible] double door (for double door DB only )100 amp. Insulated copper bus [illegible] link , copper neutral link, copper earth link , color coded [illegible] connecting wire set of suitable rating and din bar,masking sheet, making [illegible] copper lugs, Ferrules, detachable gland plate. [illegible] making connections, testing etc. as required. OEM shall have submit [illegible] CPRI / ERDA accrediated lab type test reports & All as per pre approved [illegible] in charge. For additional technical parameters of product / work [illegible] Annexure 'A' attached with this BSR. Metal door (single phase) IK-09 and IP-[illegible] end to 4 Way (4+2) ITEM 6.10.1.1 | | | | | |
| [illegible] single phase 4 way | 12 | 12 | no. | 1615.[illegible] | [illegible] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ... & Fixing of 240/415 V isolator ISI marked IS:13947- III/conforming to IEC ... suitable for AC22A utilization category, 4KV impulse withstand voltage, true ... indication, Red colour dolly / lever shall have single mould covering over all ... operation, two position din rail mounting, minimum phase termination ... of 35sq mm, IP 20 contact protection and fitted in existing distribution ... sheet including making ... testing etc. as required. OLM shall have submit NABL / CPRI / ERDA ... ed lab type test reports & All as per pre approved by Engineer in ... additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' ... with this BSR Item no 6.2.1.2 | | | | | |
| ... isolator (63 A Rating) | 12 | 121 | no | 4077 | 4770.1 |
| ... drawing Wiring for sub mains ISI marked (IS:694) 1100 Volts grade PVC ... flat twin core sheathed solid aluminium conductor with 10 SWG ... wire duly clipped etc. as required. For additional technical ... of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR item no 4.6.1 | mtr | 351 | mtr | 54.0 | 18954.0 |
| | | | | | 20684.44 |
| ... Fitting | | | | 5212.80 | 490196.08 |
| Total | | | | | 9803.92 |
| Contingency 2% | | | | | 500000.00 |
| G.Total Rs. | | | | | 5.00 |
| Say | | | | | |

Sneha

स्नेहा गुलवंशी
कनिष्ठ अभियंता
पंचायत समिति कोटकासिम
(खैरथल-तिजारा) राज०

श्याम सुन्दर शर्मा
सहायक अभियंता
पंचायत समिति कोटकासिम
(खैरथल-तिजारा) राज०